रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1668] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2010/श्रावण 21, 1932
No. 1668] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2010/SHRAVANA 21, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2010

का.आ. 1979(अ).—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं; का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उन्नत किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	वस्तु	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	आलू	कुफ्री फ्राइसोना (एमपी/98-71)
2.	प्याज	हिसार ओनियन-3 (एचओएस-1)
3.	मटर	विवेक मटर 11 (वीपी 233)
4.	पेठा	पूसा उज्ज्वल
5.	धनिया	एपीएचयू-धनिया - 1 (एलसीसी-170)
6.	धनिया	आरसीआर-728 (यूडी-728)
7.	सौंफ	आरएफ - 205 (यूएफ-205)
8.	नारियल	केराकेरलम (आईएनडी-069) (सीसीएस-9)
9.	नारियल	केरा बस्तर (आईएनडी-004S) (सीसीएस-10)
10.	टमाटर	वीएल टमाटर-4
11.	पहाड़ी मिर्च	वीएल शिमला मिर्च-2

[फा. सं. 17-11/2009-एसडी. IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2010

S.O. 1979(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purposes of the said Act, namely :—

TABLE

Sl. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Potato	Kufri Frysona (MP/98-71)
2.	Onion	Hisar Onion-3 (HOS-1)
3.	Pea	Vivek Matar 11 (VP 233)
4.	Ash Gourd	Pusa Ujwal
5.	Coriander	APHU-Dhania-1 (LCC-170)
6.	Coriander	RCr-728 (UD-728)
7.	Fennel	RF-205 (UF-205)
8.	Coconut	Kerakeralam (IND-069) (CCS-9)
9.	Coconut	Kera Bastar (IND-004S) (CCS-10)
10.	Tomato	VL Tamatar-4
11.	Capsicum	VL Shimla Mirch-2

[F. No. 17-11/2009-SD. IV]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

3170 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932
No. 1816] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का.आ. 2136(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) का.आ. 2187 (अ) तारीख 27 अगस्त, 2009 में प्रकाशित, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 3 में, क्रं. सं. 7 के सामने अंक और शब्द, "91 एच 97228" के अंकों और शब्दों के स्थान पर "91 एच 97226" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-2/2010-एसडी-IV]

मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2187(अ), तारीख 27 अगस्त, 2009 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

S.O. 2136(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, pubilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2187(E), dated the 27th August, 2009, namely :—

In the said notification, in the Table, in column (3), against serial number 7, for the figures, letter and brackets "91 H97228", the figures and letter 91H97226" shall be substituted.

[F. No. 3-2/2010-SD-IV]

MUKESH KHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2187(E), dated the 27th August, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का. आ. 2137(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि उन्नत किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	वस्तु	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	चावल	केएन 3
2.	चावल	यूएस 312 (आईईटी 19513)
3.	मक्का	900 एम गोल्ड (एम ओ एन 26)
4.	मक्का	एचएससी 1
5.	मक्का	एचक्यूपीएम-4
6.	बाजरा	नन्दी-65 (एमएच-1549)
7.	बाजरा	नन्दी-61 (एमएच-1548)
8.	चना	उज्जवल (आईपीसीके 2004-29)
9.	लोबिया (चारा)	यूपीसी 628
10.	मूंगफली	जीपीबीडी 5
11.	पीली सरसों	पिताम्बरी (आरवाईएसके-05-02)
12.	गन्ना	करन 6 (सीओ 0239)
13.	गन्ना	करन 5 (सीओ 0124)
14.	गन्ना	सीओ 0218
15.	कपास	वीबीसीएच 2231
16.	पटसन	सुधांगशु (जेबीओ-1)
17.	पटसन	अर्पिता (जेबीसी-5)
18.	मेस्ता	स्नेहा (जेआरएम-3)
19.	मेस्ता	श्रेष्ठ (जेआरएम-5)
20.	नेपियर × बाजरा संकर	फूले जयवन्त (आरबीएन-13)
21.	लम्बी पास्क्यू घास	ईसी 178182
22.	जौ	एचबीएल 391 (गोकुल)
23.	धान	अन्न (आर) 4
24.	धान	सीओ (आर) 49
25.	धान	जीएआर-13 (आईईटी-20930)
26.	धान	नूर-1
27.	धान	रत्नागिरी-4 (आरटीएन 49-1-1-2) (आईईटी 20980)
28.	धान	करजत -184
29.	धान	रत्नागिरी-24 (आरटीएन 24) (आईईटी 19812)
30.	मक्का	केएमएच-22168
31.	बाजरा	आरएचआरबीएच-9808
32.	ज्वार	फूले अनुराधा (आरएसवी 458)
33.	बर्नयार्ड मिलेट	सीओ (केवी) 2
34.	उड़द	यूपीयू 00-31 (हिमाचल मेश 1)
35.	चना	गुजरात जुनागढ़ चना-3 (जीजेजी 0207)
36.	चना	कृपा
37.	चना	जीपीएफ 2
38.	लोबिया	सी 519 (हिमाचल लेबिया 11)
39.	लोबिया	हिद्रुदया
40.	मूंग	वीबीएन (जीजी) 3
41.	अरण्डी	के-8501 (चन्द्र प्रभा)
42.	अरण्डी	वाईआरसीएच-1
43.	मूंगफली	जीजेजी-एचपीएस-1 (जेएसपी-एचपीएस-44)
44.	अलसी	बागसू
45.	भारतीय सरसों	आरएच 0119
46.	सरसों	छत्तीसगढ़ सरसों
47.	तिल्ली	फूले कराला (आईजीपीएन 2004-1)
48.	तिल	टीएमवी (एसवी) 7
49.	सोयाबीन	एमएयूएस 158
50.	गन्ना	सीओसी (एससी) 24
51.	कपास	फूले-688 (आरएचसी-688)
52.	कपास	एसवीपीआर 4
53.	कपास	एचडी 432
54.	कपास	एच 1236
55.	कपास	एच 1098 उन्नत
56.	मारवल घास	गुजरात आनन्द मारवल घास-2

[फा. सं. 3-2/2010-एस एण्ड डी]

मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

S.O. 2137(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

Sl. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Rice	KN3
2.	Rice	US 312 (IET 19513)
3.	Maize	900M Gold (M ON 26)
4.	Maize	HSC1
5.	Maize	HQPM-4
6.	Pearl Millet	Nandi-65(MH-1549)
7.	Pearl Millet	Nandi-61(MH-1548)
8.	Chickpea	Ujjawal (IPCK 2004-29)
9.	Cowpea (Fodder)	UPC 628

(1)	(2)	(3)
10.	Groundnut	GPBD 5
11.	Yellow sarson	Pitambari (RYSK -05-02)
12.	Sugarcane	Karan 6(Co 0239)
13.	Sugarcane	Karan 5(Co 0124)
14.	Sugarcane	Co-0218
15.	Cotton	VBCH 2231
16.	Jute	SUDHANGSU(JBO-1)
17.	Jute	ARPITA(JBC-5)
18.	Mesta	SNEHA(JRM-3)
19.	Mesta	SHRESTHA(JRM-5)
20.	Napier x Bajra hybrid	Phule Jaywant(RBN-13)
21.	Tall Fescue Grass	EC 178182
22.	Barley	HBL 391(Gokul)
23.	Paddy	ANNA(R) 4
24.	Paddy	CO(R) 49
25.	Paddy	GAR - 13(IET-20930)
26.	Paddy	NAUR-l
27.	Paddy	Ratnagiri-4(RTN 49-1-1-2) (IET 20980)
28.	Paddy	Karjat - 184
29.	Paddy	Ratnagiri-24(RTN-24) (IET-19812)
30.	Maize	KMH-22168
31.	Pearl Millet	RHRBH-9808
32.	Sorghum	Phule Anuradha(RSV 458)
33.	Barnyard Millet	CO(KV)2
34.	Black Gram	UPU 00-31(Himachal Mash 1)
35.	Chickpea	Gujarat Junagadh Gram-3 (GJG 0207)
36.	Chickpea	Kripa
37.	Chickpea	GPF 2
38.	Cowpea	C 519(Himachal Lobiya 11)
39.	Cowpea	Hidrudaya
40.	Green Gram	VBN(Gg) 3
41.	Castor	K-8501(Chandra Prabha)
42.	Castor	YRCH-l
43.	Groundnut	GJG-HPS-l(JSP-HPS-44)
44.	Linseed	Bhagsu
45.	Indian Mustard	RH 0119
46.	Mustard	Chhattisgarh Sarson
47.	Niger	Phule Karala(IGPN 2004-1)
48.	Sesame	TMV(Sv)7
49.	Soybean	MAUS 158
50.	Sugarcane	CoC(SC)24
51.	Cotton	Phule-688(RHC-688)
52.	Cotton	SVPR 4
53.	Cotton	HD 432
54.	Cotton	H 1236
55.	Cotton	H 1098 - improved
56.	Marvel Grass	Gujarat Anand Marvel Grass-2

[F. No. 3-2/2010-SD-IV]

MUKESH KHULLAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932
No. 1817] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का.आ. 2138(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (3) और उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय बीज समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट :—

1. सचिव (कृषि और सहकारिता), —अध्यक्ष
   कृषि मंत्रालय,
   कृषि और सहकारिता विभाग,
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट :—

2. अपर सचिव (प्रभारी बीज), —सदस्य
   कृषि मंत्रालय,
   कृषि और सहकारिता विभाग,
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

3. कृषि आयुक्त, —सदस्य
   कृषि मंत्रालय,
   कृषि और सहकारिता विभाग,
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

4. उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), —सदस्य
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

5. उप महानिदेशक (बागवानी), —सदस्य
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
   कृषि अनुसंधान भवन-2,
   पूसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012

6. संयुक्त सचिव (बीज), —सदस्य
   कृषि मंत्रालय,
   कृषि और सहकारिता विभाग,
   कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, —सदस्य
   राष्ट्रीय बीज निगम लि.,
   बीज भवन, पूसा कॉम्प्लेक्स,
   नई दिल्ली-110012

8. श्री राजु बारवले, —सदस्य
   प्रबंध निदेशक,
   महाराष्ट्र हाइब्रीड सीड
   कम्पनी लि., जालना

9. श्री प्रभाकण राव, —सदस्य
   प्रबंध निदेशक,
   नूजीवीडु सीड्स, हैदराबाद

10. श्री ठाकुर उदय सिंह, —सदस्य
    अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
    नामधारी सीड प्रा. लि.,
    बीदली, बंगलौर